

पत्रांक 2535 / उ०प्र०रा०क०प्र०ए०शो०सं० / स्था०राज० / आन्तरिक परिवाद समिति / 2025-26 / राज्य कर

कार्यालय अपर निदेशक,
उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान
लखनऊ।
लखनऊ :: दिनांक :: 11/03/2026

--: आदेश :-

The Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 के Chapter II Section 4 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4-विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ हेतु निम्न "आन्तरिक शिकायत समिति" (Internal Complaints Committee) का गठन किया गया था। विभिन्न अधिकारियों के स्थानान्तरण व कार्य सुगमता के दृष्टिकोण से पूर्व में गठित आन्तरिक शिकायत समिति को भंग करते हुये समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है:-

1- श्रीमती सीमा सरोज,	डिप्टी कमिश्नर/उप निदेशक	अध्यक्ष
2- श्रीमती शाम्बी शुक्ला	डिप्टी कमिश्नर/उप निदेशक	सदस्य
3- श्री प्रशान्त कुमार सिंह	डिप्टी कमिश्नर/उप निदेशक	सदस्य
4- श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह,	असिस्टेन्ट कमिश्नर/सहायक निदेशक	सदस्य
5- श्रीमती शाइस्ता परवीन,	सहायक निदेशक	सदस्य
6- श्रीमती तारावती,	प्रधान सहायक	सदस्य
7- सुश्री प्रेम लता पाण्डेय,	कोऑर्डिनेटर, एंजल विंग्स, 6/16 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	सदस्य

मो०नं०-9450956168, 7309798936, 8574615215

समिति यथावश्यकतानुसार अपनी बैठकें आहूत करके प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करेगी।

(भूपेन्द्र शुक्ल)

अपर निदेशक

उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,
लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/स्थापना/नजारत) उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
2. उक्त समिति के अध्यक्ष व समस्त सदस्यों को नाम से।
3. SHe-Box नोडल अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि SHe-Box पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
4. असिस्टेन्ट कमिश्नर (आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट हेतु।
5. प्राप्ति/प्रेषण लिपिक को संस्थान के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नोट कराए जाने एवं एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

अपर निदेशक

उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,
लखनऊ।